

प्रेम,
जल जी एच,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

Adm

confidential
13/07/15

श्रीमान्,
मुख्य वन संरक्षक/
लेखन अधिकारी
अन्वयन।

वत अनुभाग-2 सचयतः दिनांक 10 जुलाई 2015

विषय- जम्माट अन्तर्गत श्री लखीपुर-मिर्जापुर जम्माट (शारी वी कोठरिया) में सिद्धांततः नई वाली बिक्रि जमीन निर्माण में 0.1304 हे० अवस्थित वन भूमि के फिज क्लेम कालन के वीर वारिन्की प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ- अनुसूचित विषयक कृपया अपने पर संख्या-2096/11-जी-एच/0271/2015, दिनांक 22-5-2015 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत कालन रस्ता पर अनुसूचित हेतु अनुसूचित किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे आपसे यह कहने का निवेदन हुआ है कि विषयगत प्रस्ताव में निम्नलिखित अभिलेख पूर्ण किया जाना अपेक्षित है-

- (1) वनारक्षक अधिनियम, 2006 (एच०आर०ए०) में सम्बन्धित जिलाधिकारी के प्रमाण-पत्र की मूल प्रती उपलब्ध कराया जाय।
- (2) संलग्न टोपोग्रैफिक मानचित्र एवं मूल मानचित्र में प्रयोज्य अभिकरण एवं प्रामाणिक निदेशक द्वारा प्रतीकस्थानित नहीं है।

3- कृपया उपरोक्तानुसार कर्तव्यों का निष्पत्तय कर अभिलेख शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आपका,
(जल जी एच)
विशेष सचिव।

कोरिया मुख वन संरक्षक/श्रीमान् अधिकाारी, लखीपुर जम्माट।
पत्रांक 114/11-जी-एच-... दिनांक 10/07/2015।

सिद्धांततः बिक्रि के कालन का प्रयोज्य हेतु वातावरण
अनुसूचित कराने का हेतु है।

- (1) प्रामाणिक निदेशक, लखीपुर जम्माट, जम्माट।
- (2) अधिकाारी अधिकाारी, मिर्जापुर-2 का प्रमाणिक
विभाग, जम्माट।

13/07/15
(310 श्रीमान् कुमार जी)
श्रीमान् सचिवारी / मुख्य वन संरक्षक

प्रेषक,
लाल जी राय,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

Adso

cefnadaf
13/07/15

सेवा में,
मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी
3040 लखनऊ।

वन अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक 10 जुलाई, 2015

विषय- जनपद उन्नाव में सफीपुर-मियागंज मार्ग (साजी की कोठरिया) से सिद्दनाथ नई बस्ती लिंक मार्ग निर्माण में 0.3304 हे० आरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वास्तविक प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-2096/11-सी-वृपी021/2015, दिनांक 22-5-2015 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत शासन स्तर पर अनुमोदन हेतु अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि विषयगत प्रस्ताव में निम्नलिखित अभिलेख पूर्ण किया जाना अपेक्षित है-

- (1) वनाधिकार अधिनियम, 2006 (एफ०आर०ए०) से सम्बंधित जिलाधिकारी के प्रमाण-पत्र की मूल प्रति उपलब्ध कराया जाय।
- (2) संलग्न टोपोग्राफ मानचित्र एवं गूगल मानचित्र में प्रयोक्ता अभिकरण एवं प्रमाणीय निर्देशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।

3- कृपया उपरोक्तानुसार कामियों का निराकरण कर अभिलेख शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(लाल जी राय)
विशेष सचिव।